CHETANA
INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION (CIJE)
Peer Reviewed/Refereed Journal
(ISSN: 2455-8729 (E) / 2231-3613 (P))
Impact Factor
SJIF 2023 - 7.286

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

मानवाधिकार संरक्षण कानून एवं जनजातीय महिलाएं (दक्षिण राजस्थान के विशेष संदर्भ में

डॉ शक्ति सिंह राठौड़
सहायक आचार्य समाजशास्त्र
राजकीय कन्या महाविद्यालय गुडा कलां
जिला-पाली

First draft received: 22.11.2023, Reviewed: 29.11.2023, Accepted: 23.12.2023, Final proof received: 29.12.2023

सार-संक्षेप

जनजातीय समुदायों में सामाजिक जीवन की तरह आर्थिक गतिविधियों में भी महिलाओं का महत्त्वपूर्ण स्थान है। खेती में बराबर की हिस्सेदारी के साथ-साथ वे परिवार को चलाने में भी भरपूर योगदान करती है। अन्य महिलाओं की तरह वे खाना पकाने, सफाई चौका आदि सामान्य घरेलू काम संभालने के साथ-साथ पानी भरने, मवेशी पालने, ईंधन तथा वन उत्पाद एकत्र करने का जिम्मा भी उठाती है। कृषि कार्य में बुवाई और कटाई का काम महिलाएं ही संभालती है। मुख्यधारा से कटे रहने के कारण जनजातीय समुदाय में शिक्षा प्रचार का काम काफी देर से शुरू हो पाया है। महिला साक्षरता दर न्यूनतम है।

मुख्य शब्द : *मानवाधिकारसंरक्षण कानून ,, जनजातीय समाज महिला आदि*

प्रस्तावना

भारतीय समाज की जटिल और कठोर जाति व्यवस्था में फंसी नारियों की तुलना में जनजातीय समुदायों की महिलाओं का दर्जा व रूतबा कहीं अधिक सम्मानजनक और सशक्त है परन्तु जनजातीय महिलाओं का दर्जा अपने समुदायों के पुरुषों से कम नहीं है। शहरी समाज के सम्पर्क के कारण सामाजिक समानता में हाल में कमी हुई है। जो जनजातियां शिक्षा के प्रसार, औद्योगिकरण और आधुनिक रहन सहन तथा हिन्दुत्व की सामाजिक कुप्रथाओं से प्रभावित होती जा रही है, उनमें महिलाओं की प्रतिष्ठा और सामाजिक सत्ता कम होती जा रही है।

जनजातीय समुदायों में सामाजिक जीवन की तरह आर्थिक गतिविधियों में भी महिलाओं का महत्त्वपूर्ण स्थान है। खेती में बराबर की हिस्सेदारी के साथ-साथ वे परिवार को चलाने में भी भरपूर योगदान करती है। अन्य महिलाओं की तरह वे खाना पकाने, सफाई चौका आदि सामान्य घरेलू काम संभालने के साथ-साथ पानी भरने, मवेशी पालने, ईंधन तथा वन उत्पाद एकत्र करने का जिम्मा भी उठाती है। कृषि कार्य में बुवाई और कटाई का काम महिलाएं ही संभालती है। मुख्यधारा से कटे रहने के कारण जनजातीय समुदाय में शिक्षा प्रचार का काम काफी देर से शुरू हो पाया है। महिला साक्षरता दर न्यूनतम है।

मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एवं संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुये भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सम्मेलनों, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् एवं महासभा के अधिवेशनों में मानवाधिकार के मुद्दों पर सक्रिय रूप से भाग लिया है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 30 में मानव अधिकारों के उल्लंघन सम्बन्धी शीघ्र सुनवाई उपलब्ध कराने के लिए मानव अधिकार न्यायालय अधिसूचित करने की परिकल्पना की गई है। आन्ध्रप्रदेश, असम, सिक्किम, तमिलनाडू और उत्तरप्रदेश में इस प्रकार के न्यायालय स्थापित किए जा चुके हैं। जब से मानवाधिकार संरक्षण कानून बना है और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ है, नारी की स्थिति समाज में और अधिक सुदृढ़ होने लगी है। अब महिला उत्पीडन की घटनाओं में भी अपेक्षाकृत कमी आई है।

वर्तमान में महिलाएं कर्मक्षेत्र में आगे आई है। वे विभिन्न सेवाओं मे कदम रखने लगी है। कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत बढ़ने लगा है। भारतीय दंड संहिता 1860 में भी महिलाओं के विरूद्ध कारित उपराधों के लिए कठोर दंड की व्यवस्थाएं की गई है। घारा 354 में स्त्री लज्जा भंग, चारा 366 में अपहरण, धारा 376 में बलातसंग, धारा 498-क में निर्दयतापूर्ण व्यवहार तथा धारा 509 व 410 में स्त्री का अपमान करने को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। सती निवारण अधिनियम 1957 में सती प्रथा के निवारण हेतु कठोर दण्ड की व्यवस्था की गई है।

महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों में संविधान के अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान किया गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ विभेद नहीं किया जायेगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में महिलाओं को भी समान अवसर प्रदान करता है। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। महिलाओं को मात्र महिला होने के नाते समान कार्य के लिए पुरुष के समान वेतन देने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 18 स्त्रियों को सम्पति में मालिकाना हक प्रदान करती है। श्रम कानून महिलाओं के लिए संकटापन्न यंत्रों तथा रात्रि में कार्य निषेध करते है। मातृत्व लाभ अधिनियम कामकाजी महिलाओं को प्रसूति लाभ की सुविधाएं प्रदान करता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 में उपेक्षित महिलाओं के लिए भरण पोषण का प्रावधान किया गया है।

इस प्रकार कुल मिलाकर नारी विषयक मानवाधिकारों को विभिन्न विधियों एवं न्यायिक निर्णयों में पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया गया है। बदलते परिवेश में संविधान में 12वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 क (ड.) के अन्तर्गत नारी सम्मान को स्थान दिया गया है और नारी सम्मान के विरूद्ध प्रथाओं का त्याग करने का आदर्श अंगीकार किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग नारी सम्मान की रक्षार्थ सजग एवं सतत प्रयासरत है।

बीसवीं सदी को नारी जागृति का काल कहा जा सकता है। 19वीं सदी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुधार के प्रणेताओं संत मावजी महाराज, गोविन्द गिरी, संत सुरमालदास आदि के प्रयासों से क्षेत्र की जनजातीय महिलाओं में जनजागृति का संचार हुआ तथा देश में समाज सुधारकों के प्रयासों से स्त्री समाज में जागृति आई। हर क्षेत्र में सुधार प्रारंभ हुए। फलतः स्त्रियों ने सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक आदि क्षेत्रों में अपेक्षाकृत संतोषजनक उन्नति की। बाल विवाह और दहेज गैर कानूनी घोषित किये गये। विधवा-विवाह को कानूनी अनुमति मिली। सन् 1955 के हिन्दू विवाह कानून द्वारा बहुविवाह गैर कानूनी घोषित हुआ एवं स्त्री-पुरुष दोनों को तलाक देने की अनुमति मिली। हिन्दू उत्तराधिकार कानून द्वारा 'स्त्रीधन' पर स्त्री को अधिकार मिला। 1961 ई. में दहेज निवारण कानून बना। 1986 में उसी में संशोधन करके दहेज को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इन कानूनों से सामाजिक क्षेत्र में अत्यधिक सुधार हुए।

बीसवीं शताब्दी में नारी सशक्तीकरण हेतु अनेक प्रयास किये गये महिलाएं इससे लाभान्वित भी हुई है। उन्होंने सभी क्षेत्रों में आशातीत प्रगति की । तथापि आज भी बहुत अधिक संख्या में महिलाएं गरीब है, अनपढ़ है। उन्हें न तो अपने अधिकारों का ज्ञान है और न ही उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का। दरअसल, सशक्तीकरण की आवश्यक शर्तें है शिक्षा और आर्थिक आत्म निर्भरता, लेकिन समाज की रूढ़िवादिता उसके मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। आज जनजातीय महिलाओं के

पिछड़ेपन के कई कारण है जिनमें से एक बड़ा कारण उनका अशिक्षित होना और समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियां होना है।

सामाजिक, सांस्कृतिक जनजागरण के क्षेत्र में मावजी महाराज, गोविन्दगिरी एवं सुरमालदास के प्रेरणादायी कार्यों ने जनजातीय महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में भी संलग्न रहने का संदेश दिया जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक जीवन की तरह आर्थिक गतिविधियों में भी स्त्रियों की भागीदारी बढ़ी। पिछले कुछ दशकों में गैर जनजातीय समुदायों के बढ़ते प्रभाव के कारण आए कुछ परिवर्तनों के बावजूद जनजातीय महिलाएं अपने समुदाय के आर्थिक जीवन में विशेषकर भूमिका निभा रही हैं। खेती में बराबर की हिस्सेदारी के साथ-साथ वे परिवार को चलाने में भी भरपूर योगदान करती है।

सीमित कृषि योग्य भूमि, असमय और अपर्याप्त वर्षा, सिंचाई के साधनों की कभी, उन्नत किस्म के बीजों तथा रासायनिक खादों तथा बिजली का समय पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होना, परिवार में आर्थिक तंगी, बैंकों से ऋण मिलने की लंबी एवं जटिल प्रक्रिया, गैर सरकारी ऋणदायी संस्थाओं की ऊँची ब्याज दरें एवं बिचौलियों द्वारा धोखाधड़ी आदि महिलाओं के आर्थिक विकास के रास्ते में आने वाली गंभीर समस्याएं है। इनके अतिरिक्त पुरूषों की तुलना में महिलाएं उत्पादन कार्यों में लगे रहने के कारण खेती के लिए पर्याप्त समय का अभाव, शिक्षा की कमी के कारण तकनीकी ज्ञान समझने में दिक्कत और आवास प्रबन्धन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

1. नारी समाज का एक अभिन्न अंग है चाहे वह जनजातीय हो या गैर जनजाति अतीत से ही नारी का समाज से सर्वोपरी स्थान रहा है। उसे सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। परन्तु गत वर्षो में महिलाओं के मानवाधिकारों में जितना उल्लंघन हुआ है शायद पहले कभी नहीं हुआ।
2. सदियों से जनजातियाँ दूरवर्ती तथा अलग-अलग क्षेत्रों में रहती आयी है। मानवाधिकार संरक्षण के बारे में अनभिज्ञ है क्योंकि जनजातीय समाज के महिला वर्ग में शिक्षा का अभाव है। जनजातीय क्षेत्रों के विकास तथा वहां की आर्थिक स्थितियों में सुधार करने के लिए शिक्षा का प्रचार एवं मानवाधिकार कानून तथा संवैधानिक कानूनों का प्रचार-प्रसार अत्यन्त आवश्यक है।
3. महिलाओं के प्रति हिंसा विश्वव्यापी घटना बनी हुई है जिससे कोई भी समाज एवं कोई भी समुदाय भूल नहीं सकते चाहे वो जनजातीय समाज ही क्यों न हो। महिलाओं के प्रति भेदभाव इसलिए विद्यमान है क्योंकि इसकी जड़े सामाजिक प्रतिमानों एवं मूल्यों में जमी हुई है और वे अंतर्राष्ट्रीय करारों के परिणाम स्वरूप परिवर्तित नहीं होते है। वैसे तो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के कारणों को समाप्त किये बिना उसका पूर्ण निदान संभव नहीं।
4. जनजातीय समाज में सामान्यतः मानवाधिकारों के प्रति आम जनता जागरूकता का अभाव सा परिलक्षित होता है फलतः शोषण, अन्याय, उत्पीड़न, अत्याचार लोगों के अधिकारों का हनन आदि समान्य रूप से प्रचलित है।
5. वर्तमान में जनजातीय महिलाएं समाज व राज्य की विभिन्न गतिविधियों में पर्याप्त सहभागिता कर रही है, परन्तु इससे उनके प्रति घरेलू हिंसा के अलावा कार्यस्थल पर सड़कों पर हाट-बाजारों में, सड़कों एवं सार्वजनिक यातायात के माध्यमों में व समाज के अन्य स्थलों पर होने वाली हिंसा में वृद्धि हुई है।
6. मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ने भेदभाव को न करने के सिद्धान्त की अतिपुष्टि की थी और घोषित किया था कि सभी मानव स्वतंत्र पैदा हुए है और गरिमा एवं अधिकारों में समान है तथा सभी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के जिसमें लिंग पर आधारित भेदभाव भी शामिल है सभी अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं के हकदार है फिर भी महिलाओं के विरुद्ध अत्यधिक भेदभाव होता रहा है।

पदतिशास्त्र - उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के माध्यम से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर जिलों से 200 उत्तरदाताओं का चयन करेंगे अर्थात् प्रत्येक जिले से 50 उत्तरदाता होगे। ये उत्तरदाता महिलाएं होगी, जो मानवाधिकार संरक्षण कानूनों के प्रति जानकार एवं परिचित हो। घरेलू हिंसा एवं कार्यस्थल पर प्रताडित होने वाली महिलाओं को भी उत्तरदाता के रूप में चयनित किया जायेगा।

निदर्शन के रूप में उद्देश्यपूर्ण का उपयोग तथ्य संकलन के लिए किया जायेगा। प्राथमिक तथ्यों के रूप में लिखित प्रलेखों का उपयोग किया जायेगा। द्वितीयक तथ्यों के रूप में महिला मानवाधिकारों से सम्बन्धित लिखित प्रलेखों का उपयोग किया जायेगा। संवैधानिक कानूनों, मानवाधिकार संरक्षण कानूनों से सम्बन्धित अब तक हुये अध्ययनों को शामिल कर विश्लेषण किया जायेगा ।

सम्बंधित साहित्य का अध्ययन

अतीत में संचित ज्ञान के आधार पर ही नवीन ज्ञान का सृजन किया जाता है एवं उनके आधार पर शोध परियोजना की दिशा निर्धारित की जाती है अतः इस सन्दर्भ में शोध परियोजना की समीक्षा आवश्यक है।

कृष्ण कुमार रत्तू ने (2002) 'भारतीय दलित और मानवाधिकार - जातिवाद और संवैधानिक संरचना" नामक पुस्तक में लिखा है कि स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के बाहर हाशिये पर धेकेले गये उस बहिष्कृत अनुसूचित जाति समाज की तस्वीर के बारे में प्रकाश डालती है। इस पुस्तक से हमें मानवाधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।

शर्मा, सुरेन्द्र कुमार ने (2010) "महिलाओं में अधिकारों के प्रति चेतना " नामक पुस्तक में लिखा है कि आजादी के बाद, महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है, लेकिन फिर भी महिला को सम्मानजनक और संतोषजनक जीवन स्तर अभी तक हासिल नहीं हुआ है। महिलाएं आज भी पुरूष प्रधान समाज के बीच खुलकर सांस नहीं ले पा रही है। संविधान में मिले अपने अधिकारों को लेकर अधिकांश भारतीय महिलाएं जागरूक नहीं है, और जो जानती है, उन्हें अपने अधिकार हासिल करने के लिए जुझना पड़ता है। वर्तमान भौतिक युग में अर्थ के अभाव में पुरुष अथवा महिला दोनों ही अपूर्ण है।

वर्मा, सवालिया बिहारी / गुप्ता, संजीव ने (2005) "महिला जागृति और सशक्तीकरण" नामक पुस्तक में लिखा है कि महिलाएं पुरुषों से किसी तरह से कमजोर नहीं परन्तु इसका एक दूसरा पहलू भी है। गत वर्षों में महिलाओं के अधिकारों का जितना उल्लंघन हुआ है। शायद पहले कभी नहीं हुआ। समाज व राज्य की विभिन्न गतिविधियों में पर्याप्त सहभागिता के बावजूद इनके साथ अभद्र व्यवहार, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल, सड़कों सार्वजनिक यातायात एवं अन्य स्थलों पर होने वाली हिंसा में वृद्धि हुई है। इसमें शारीरिक, मानसिक एवं यौन शोषण भी शामिल है। आए दिन अखबारों में महिलाओं के साथ बलात्कार, दहेज के लिए वधू को जलाने तथा बालिका भ्रूण हत्या जैसी खबरें पढ़ने को मिलती रहती है। उन्होंने लिखा है कि महिला विकास की दिशा में केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला कोष, बालिका समृद्धि योजना, महिलाओं हेतु रोजगार सह आयोत्पादक कार्यक्रम, स्वशक्ति परियोजना, स्त्री शक्ति पुरस्कार, राष्ट्रीय महिला आयोग, इन्दिरा महिला योजना आदि। केन्द्र सरकार द्वारा महिलाओं के विकास तथा सशक्तिकरण हेतु आरंभ की गई। उपर्युक्त योजनाओं से पूरे देश की महिलाएं लाभान्वित हो रही है। अतः महिलाओं में चेतना जगाकर उनके अधिकारों से अवगत कराने की आवश्यकता है।

मौर्य, शैलेन्द्र ने (2012) "भारतीय समाज में महिला विमर्श एवं यथार्थ" नामक अपनी पुस्तक में लिखा है कि महिला विमर्श महिला अधिकारों की पक्षधर होने के साथ समाज में उन स्थितियों का पोषक है जो महिलाओं को समकक्ष एवं सशक्त बनाती है तथा उन परिस्थितियों एवं कारणों का खण्डन एवं उन्मुलन चाहती है जो महिला को अबला बनाती है। महिला विमर्श का सरोकार लैंगिक विभेद का उन्मुलन कर समतावादी समाज की स्थापना से है, जिसके निर्धारण साहित्य, समाज एवं राजनीति है। प्रस्तुत अध्ययन भारतीय समाज में महिला विमर्श एवं यथार्थ में महिला प्रस्थिति को साहित्य, समाज एवं राजनीति के सन्दर्भ में समझने का प्रयास किया गया है।

शर्मा, अंजना ने (2013) "राजनीति में अनुसूचित जातियों की भूमिका" नामक पुस्तक में लिखा है कि आजादी के समय देश में समाज के विभिन्न वर्गों में काफी असमानता थी जिसे दूर करने के लिए समाज के शोषित वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था ताकि सभी क्षेत्रों में उनकी उचित भागीदारी सुनिश्चित हो सके। सरकारी नौकरियों तथा विधायिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई जिससे इन वर्गों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। यद्यपि आरक्षण का लाभ इन वर्गों को मिला है लेकिन जिस उद्देश्य से आरक्षण का प्रावधान किया गया था वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है क्योंकि आज भी दलित वर्ग के लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हुए हैं।

बोहरा, आशारानी ने (1983) "भारतीय नारी दशा और दिशा" नामक पुस्तक में अपने अध्ययन में बताया है कि महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार व उत्पीड़न के लिए पुरुष प्रधान समाज और पुरुष मानसिकता तो जिम्मेदार है ही. साथ ही उसके लिए जिम्मेदार हमारी सामाजिक परम्पराए पुरुषों ने अपनी सुविधा के लिए नियम आदर्श और धर्म के पाठ मात्र स्त्रियों तक ही सीमित रखे। स्त्रियों को जी भरकर दबाया, उन्हें, उत्पीड़ित किया और उनके साथ सभी प्रकार के नैतिक-अनैतिक दुर्व्यवहार किए। आज के आधुनिक युग में भी परिस्थितियां कुछ ज्यादा नहीं बदली।

श्रीवास्तव, मीनाक्षी ने (2012) कामकाजी महिलाएं" नामक पुस्तक में लिखा है कि जनजातीय कामकाजी महिलाओं की स्थिति तो और भी खराब है। योजना आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्न वर्ग / जनजातीय वर्ग को अधिकतर कामकाजी महिलाएं अशिक्षित या अल्पशिक्षित होती है। काम करना इस वर्ग की महिलाओं के लिए एक मजबूरी है और मजबूरी में काम पाने के लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ती है। कार्यस्थल पर उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। देर शाम जब वो घर लौटती है तो उन्हें दो-चार होना पड़ता है पारिवारिक हिंसा से

निशान्त सिंह ने (2011) "सामाजिक सुरक्षा और महिलाएं नामक अपनी पुस्तक में लिखा है कि भारत में कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत बढ़ रहा है जो महिलाएं घर से बाहर निकल कर नौकरी, व्यवसाय आदि करती भी है तो उन्हें कार्यस्थल पर एक सुरक्षित माहौल नहीं मिल पाता है और तो और श्रमिक महिलाओं को तो पुरूषों के समान मजदूरी तक नहीं मिल पाती है। इन सबके बावजूद एक सकून देने वाली बात यह है कि कामकाजी / कार्यशील महिलाएं आज सामाजिक रूप से सुरक्षित है। अपने आज के साथ-साथ वे अपने कल को भी संवार रही है. उसे सुरक्षित कर रही है। जैसे-जैसे महिलाएं घरों से निकल कर कार्यस्थल तक पहुंच रही है, वैसे-वैसे उनकी दिक्कतें भी बढ़ रही है।

रस्तोगी, अलका ने (2005) "आदिवासी सामाजिक संरचना एवं महिलाओं की प्रस्थिति" नामक पुस्तक में लिखा है कि जनजातीय स्त्री विविधि भूमिकाओं में देखी जा सकती है। कन्या रूप में उसकी स्थिति परिवार के लिए किसी प्रकार का संकट देने वाली नहीं है। कन्या जन्म कोई आर्थिक संकट उत्पन्न नहीं करता है। जनजातीय कन्याओं द्वारा घर परिवार की सार-संभाल और कृषि सम्बन्धी कार्य, ईंधन एकत्र करना, पानी लाना आदि उल्लेखनीय है। कन्याओं को पाठशाला भेजा जाता था किन्तु आर्थिक दशा की निम्नता और पशु चराने, घर संभालने की जिम्मेदारी उन्हें पाठशाला छोड़ने को विवश कर देती है। विवाह पूर्व यौन सम्बन्ध और हाट मेले आदि में मुक्त विचरण उसे वह स्वतंत्रता प्रदान करता है जो कभी-कभी उसके लिए कष्टदायी भी हो जाया करती है। विवाहोपरान्त जनजातीय स्त्री कठोर बन्धनकारी नियमों का पालन करती है वह घर खेत और जंगल के क्षेत्र में कार्य करने, हाट मेले और नगरीय बाजार में उत्पाद बिक्री हेतु ले जाने जैसी सीमित स्वतंतंत्रा का उपभोग करती हैं विधवा स्त्री पुनः विवाह करने, नाता करने को स्वतंत्र रही है। पत्नी के रूप में उसे पति को छोड़ने का अधिकार भी प्राप्त है, किन्तु यह सदैव क्रियाशील भी हो यह आवश्यक नहीं।

वर्मा, गुप्ता (2005) "महिला जागृति और सशक्तीकरण नामक पुस्तक में लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता अर्थात् जहां नारी की पूजा होती है. वहाँ देवता निवास करते है। हमारे देश में अतीत से ही नारी का सर्वोपरी स्थान रहा है परन्तु गत वर्षों में महिलाओं की स्थिति में काफी बदलाव आया है। कुछ क्षेत्रों में जहां यह बदलाव

सम्मानजनक एवं सकारात्मक है, वहीं अधिकांश जगहों पर ये बदलाव नारियों के प्रतिकूल साबित हो रहे है।

आज महिलाओं के पिछड़ेपन के कई कारण है जिनमें एक बड़ा कारण उनका अशिक्षित होना है। किसी ने कहा भी है- दस पुरुषों की तुलना में एक महिला को शिक्षित करना ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक महिला को शिक्षित करने से एक परिवार शिक्षित होता है।" लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि आजादी के 65 वर्षों बाद भी महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत 54.18 ही जो कि उनके पिछडेपन, शोषण एवं उत्पीड़न का मुख्य कारण है, हालांकि केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने इस संबंध में कई प्रयास किये हैं किन्तु इसमें ये पूर्णरूपेण सफल नहीं हो पाए हैं। जाहिर है कि योजनाओं की सफलता के लिए उसके लाभार्थियों का सहयोग भी उतना ही अहमियत रखता है, जितना की अन्य बातें।

सैनी, एस. के. (2003) राजस्थान के आदिवासी " नामक पुस्तक में लिखा है कि वैसे तो एक साधारण आदमी के जीवन में भी अपनी जीवन संगिनी का महत्व होता ही है, लेकिन एक आदिवासी के लिये तो उसकी पत्नी-पत्नी से बढ़कर काम करने वाली सादी कार्यकर्ता, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर जंगलों में दिनभर घूम-घूमकर विभिन्न वन उपजें संग्रह करने वाली, खेतों में भरी दुपहर में हल के साथ बीज डालती और रात को उसी के साथ दिन भर के दुःख दर्द को भुलाकर नृत्य में साथ देने वाली सहचरी होती है। वह साधारण महिला से कई गुना ज्यादा काम करती है, क्योंकि वर्तमान में इसको अपने अस्तित्व को बनाए रखने में काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। भील महिला घर में काम करने के साथ-साथ खेतों में भी अपने पति के साथ काम करती है। जंगल से लकड़ियां एकत्रित करती है और पशु चराती है, वह आदमी से अधिक मेहनती होती हैं।

एक जनजाति महिला जनजाति समाज के आर्थिक ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसा कि आदिवासी महिला जी तोड़कर काम करने वाली नारी है और यही कारण है कि आदिवासी परिवार में वह भले ही बेटी हो, बहन हो, पत्नी हो, मां हो, कई महत्वपूर्ण निर्णयों में उसकी बात मानी जाती है और उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। श्री श्याम सिंह "शशि" लिखते हैं राजस्थान की भील महिला श्रमिकों के रूप में काम करती है। वे वास्तव में कठोर श्रम और श्रद्धा की प्रतीक है।"

डॉ. जगदीश चन्द्र मीणा ने (2003) "भील जनजाति का सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन (1858-1947 ई.). में लिखा है कि भील जनजाति का प्रारंभिक इतिहास काफी महत्त्वपूर्ण रहा है। छठीं शताब्दी में राजपूताना के विभिन्न राज्यों पर इसका शासन था। दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और कोटा आदि राज्यों पर भीलों का आधिपत्य रहा था। सातवीं शताब्दी में भील जनजाति के सहयोग से ही मेवाड़ में बप्पा रावल का चित्तौड़ पर शासन स्थापित हुआ।

उन्होंने अपने ग्रन्थ में भील जनजाति का सांस्कृतिक परिवेश, आर्थिक व्यवस्था, इजारा प्रणाली, पाटीदारी व्यवस्था, सागड़ी प्रथा, जागीदारों एवं साहूकारों का प्रभाव, ब्रिटिश उपनिवेशवाद में वनों की स्थिति एवं प्रभाव, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आन्दोलन, आर्थिक दशा सुधारने के प्रयास, प्रजामण्डलों की स्थापना आदि के बारे मे विस्तृत वर्णन किया है। भील जनजाति के सामाजिक जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है, अतः सामाजिक स्थिति के बारे में विस्तृत अध्ययन करना मेरे शोध का उद्देश्य है।

श्यामलदास ने (1886) में अपने विशाल ग्रन्थ "वीर विनोद" में मेवाड़ के साथ-साथ राजपूताना की विभिन्न रियासतों के इतिहास की विस्तृत जानकारी देने वाला एक प्रमुख स्त्रोत हैं श्यामलदास ने भी यत्र-तत्र भीलों का उल्लेख किया है तथा मेवाड़ के विभिन्न समुदायों का विवरण देते हुए भील जनजाति पर भी बहुत संक्षेप में प्रकाश डाला है। श्यामलदास एक राज्य अधिकारी व दरबारी इतिहासकार था तथा उसने भीलों को हीन दृष्टि से ही देखा है।

मेजर, के.डी. अर्सकिन ने (1908) में अपनी पुस्तक "राजपूताना गजेटियर" खण्ड द्वितीय ए में लिखा है कि भील भारत वर्ष के सबसे पुराने निवासियों में से एक है। जिन्होंने ईसा से कई सो वर्ष पूर्व उत्तर व उत्तर पश्चिम की ओर से इस देश में प्रदेश किया। उन्होंने भील समाज पर सीमित मात्रा में प्रकाश डाला है।

ओझा, गौरीशंकर हौटराचन्द ने (1928) में अपनी पुस्तक "उदयपुर राज्य का इतिहास" नामक पुस्तक में लिखा है कि मेवाड़ राज्य की स्थापना सूर्य वंश के गुहिल (गुहदत्त) ने की और उसी के नाम पर यह वंश गुहिल कहलाया गुहिल इंडर के भीलों के साथ रहते थे उस समय इंडर पर मंडलीक नामक भील राजा का शासन था। भील लोग गुहिल से विशेष प्रेम रखते थे। उन्होंने उदयपुर राज्य में निवास करने वाली भील जनजाति की संक्षिप्त जानकारी दी है।

कर्नल जेम्स टॉड ने (1965) में ट्रावेल्स इन वेस्टर्न इण्डिया का हिन्दी अनुवाद सम्पादक गौपालनारायण बहुरा "पश्चिमी भारत की यात्रा' नामक पुस्तक में राजपूताना में निवास करने वाली भील जनजाति उनके गौत्र, निवास स्थान, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक संगठन, राजपूत भील सम्बन्ध आदि के बारे में वर्णन किया है। उसने अपने दूसरे यात्रा विवरण में भील क्षेत्र में यात्रा करते हुए वह भीलों के रहन-सहन के अतिरिक्त इनके परम्परागत ठाकुरों के क्षेत्रों में अधिकारों का विवरण भी देता है किन्तु उसने भीलों के खान-पान व चरित्र के विषय में कुछ प्रतिकूल टिप्पणीयां भी दी है, वस्तुतः टॉड के इन दोनों ग्रन्थों में भीलों का विवरण बहुत संक्षिप्त में मिलता है।

अध्यनन के उद्देश्य

जनजातीय क्षेत्र भौतिकीय एवं मानवीय दोनों ही दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। पहाड़ी ढलानयुक्त बंजर भूमि सिंचाई साधनों की अनुपलब्धता वर्षा पर पूर्ण निर्भरता, कृषि से सम्बन्धित आधुनिक साधनों एवं तकनीकी ज्ञान का अभाव, प्राकृतिक संसाधनों का विनाश और इस सब के प्रतिफल आजीविका के साधनों में कमी के कारण यहां निवासित जनजातियों के जीवन में निरंतर अस्थिरता बनी हुई है। क्षेत्र की जनजातियों के विकास में बाधक उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण कारण समाज की रूढ़िवादी परम्पराएं भी है।

दक्षिणी राजस्थान की जनजातीय महिलाएं एवं मानवाधिकार संरक्षण कानूनों के बारे में अध्ययन नहीं हुआ है। केन्द्र एवं राज्य सरकार ने जनजातियों के विकास के लिए अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किए है। उन्हें विभिन्न तरीकों से रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। इन सब कार्यों के फलस्वरूप जनजातियों का जीवन स्तर पहले की तुलना में कितना सुधरा है, ऐसी कौन-कौन सी समस्याएं जो अभी तक विद्यमान है और जो उनके विकास में रोड़े अटका रही है, यह जानने का प्रयास करना तथा मानवाधिकार के बारे में समाज में जनजागृति लाना इस शोध का मुख्य उद्देश्य हैं।

1. मानवाधिकार संरक्षण कानून एवं संवैधानिक कानूनों का लाभ जनजातीय महिलाओं को प्राप्त हो रहा है या नहीं का अध्ययन करना ।
2. निरक्षर जनजातीय महिलाएं मानवाधिकार संरक्षण कानूनों से लाभान्वित हो रही या नहीं के बारे में जांच-पड़ताल करना ।
3. जनजातीय समाज में मानवाधिकार संरक्षण कानूनों के बारे में जन जागृति लाना ताकि वे अपने अधिकारों का उपयोग अपने संरक्षण हेतु कर सकें ।
4. महिलाओं को आत्मनिर्भर समूहों में संगठित करना और इस प्रकार महिलाओं को अधिकार सम्पन्न करने की प्रमुख प्रक्रिया की शुरूआत करना।
5. जनजातीय क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यों पर प्रकाश डालना|

प्राक्कल्पनायें, मान्यताएं

जनजातीय महिलाओं के बारे में हमारी मान्यताएं एवं प्राकल्पनायें है -

1. जनजातीय महिलाएं निरक्षर है वे मानवाधिकार संरक्षण कानूनों का लाभ नहीं उठा पा रही है क्योंकि शिक्षा के अभाव में जनजातीय महिलाएं अपने विकास एवं संरक्षण सम्बन्धी कानूनों के बारे में नहीं जानती है।
2. सन् 1947 से आज दिनांक 20.09.2016 तक सरकार एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने इनके विकास के नाम पर करोड़ों, अरबों रूपये खर्च किये है। लेकिन आज स्थिति वैसी ही है। सूचना तकनीकी माध्यम व समाचार पत्र इनकी वास्तविक स्थिति को दुनिया के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाये है।
3. जनजातीयों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए अनेकों संवैधानिक कानून बनाये गये है। फिर भी स्थिति ज्यों की त्यों है। जबकि दक्षिण राजस्थान में अधिकांश जनजातीय लोग निवास करते हैं। सूचना तकनीकी माध्यम इनके शोषणों का उल्लेख नहीं करते हैं।
4. मानवाधिकार संरक्षण कानूनो के उपयोग के प्रति जनजातीय महिलाएं उदासीन है।
5. इनके रीति-रिवाज और जीवन शैली को वस्तुनिष्ठ अध्ययन के आधार पर व्याख्या करना एवं समझना आवश्यक है। जिससे इनके विकास करने के लिए अच्छे पक्षों को उजागर किया जा किया जा सके और हानिकारक पक्षों को रोका जाये।
6. जनजातीय समाज के जादू टोना एवं अंधविश्वास बहुत ही प्रचलित है। जनजातीय महिलाओं को डायन बताकर उसके साथ मारपीट करना आम बात है। समाज में जनजागृति लाना नितान्त आवश्यक है क्योंकि जब तक जनजातीय लोग शिक्षित नहीं होगे तब तक अंधविश्वास, जादू-टोना कायम रहेगा और जनजातीय महिलाएँ अत्याचारों से प्रताड़ित होती रहेगी।
7. महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति के नियमों का उल्लंघन हो रहा है।
8. मानवाधिकारों के प्रति जनजातीय समाज में जागरूकता का अभाव सा परिलक्षित होता है फलतः शोषण, अन्याय, उत्पीडन, अत्याचार लोगों के अधिकारों का हनन आदि सामान्य रूप से प्रचलित है।
9. प्रत्येक समाज व प्रत्येक प्रकार की महिला विरोधी हिंसा के लिए समाज और राज्य दोनों को ही अपना नैतिक एवं विधिक उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा। व्यावहारिक स्वरूप यही मांग करता है कि एक ऐसी सामाजिक पहल हो जिससे महिलाओं के प्रति पूरे समाज की सोच बदले।
10. अनुसूचित जनजातीय महिलाओं पर पिछडेपन की भी मार पड़ती है और औरत होने की भी। सारा दिन अकुशल, मेहनती काम के बाद और कम मजदूरी के बाद घर लौटी औरत को अपने पति की मारपीट भी सहनी पड़ती है। कभी ऊँची जात वालों के सामुहिक क्रोध का शिकार भी महिला को होना पड़ता है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण या सरकारी परियोजनाओं के कारण विस्थापित महिलाओं की त्रासदी भी पुरुष की अपेक्षा कई गुना अधिक है।
11. जनजातीय पुरूष गैर-कृषि व्यवसायों में जाने लगे हैं, वैसे-वैसे खेती के काम का दायित्व स्त्रियों के कंधों पर अधिकाधिक आने लगा हैं अगर उनके पास जमीन के पट्टे नहीं होंगे तो उन्हें उत्पादन का फायदा नहीं मिल पाएगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची (BIBLIOGRAPHY) :

1. Ariyappan A. (1965), "Some Patterns of Tribal Leadership" Economic Weekly Vol. 17
2. Bhowmik, K.L. (1971), "Tribal India: A Profile in Indian Ethnology", Calcutta: World Press
3. Bage, S.K. (1965), "Anthropoligist and Tribal Administration", Journal of Social Research, Vol. 8, No. 1
4. Bailey, F.G. (1961), "Tribe and Caste in India", Contributions to Indian Sociology,
5. Doshi, J.K. (1974), "Social Structure and Social Change in a Bhil Village", New Delhi: New Heights
6. Das. R.K. (1971), "The Problems of Tribal Identity in Manipur", The Eastern Anthropologist, Vol. 24, No. 2
7. Dutta, Parul Nabendu (1956), "The Santhal: A Study in Culture Change", Delhi :Manager of Publication, Government of India.
8. Erskine, K.D. (1908) "Rajputana Gazatters" Vol 11, Part B, The Mewar Residency, Ajmer

9. Ghurye, G.S., (1943), "The Aborigines-So-Called-and Their Future", Poona : Gokhle Institute of Politics and Economics.
10. Krishna, K.P. and Singh D.P. (1985) Victims of Crime, in Social Change, Rawat Publication, Jaipur Vol. 12, No. 3
11. Majumdar, D.N. (1950), "The Affairs of A Tribe: A Dynamic's Lucknow : Universal Publishers.
12. Marriott. Mckim (Ed), (1976), Development Administration in Tribal Areas, Jaipur: The H.C.M. State Institute of Public Administration.
13. Sharma B.D. (1977), "Planning for educational Development in Tribal Areas" (Occasional Papers on Tribal Development), Ministry of Home Affairs, New Delhi.
14. Sharma, B.D. (1978), "Tribal Development Administration" in S.K. Sharma (Ed.) Dynamics of Development: An International Perspective Delhi Concept.
15. Sparkman, john J. (1961), "Economic, Social and Political Implications of Community Development", Community Development Review, Vol. 6
16. Srivastava S.K. (1958), The Tharus: A Study to Cultural Dynamic Agra : Agra University Press.
17. Vyas, N.N. & Choudhary (1968) "Tribals Part & Present" Tribal Research Institute, Udaipur
18. बंसल, वन्दना (2004) "पंचायती राज में महिला भागीदारी" कलपॉस पब्लिकेशन्स, दिल्ली
19. मौर्य शैलेन्द्र (2011) "महिला राजनैतिक नेतृत्व एवं महिला विकास" पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर
20. कौशिक, सुशीला (1913) "महिला और पंचायती राज हर आनन्द पब्लिशर्स, नई दिल्ली
21. सिंह, राजबाला एवं सिंह, मधुबाला (2006) भारत में महिलाएं आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर
22. महीपाल (2002) "पंचायतों में महिलाएं, सीमाएं और संभावनाएं" सारांश प्रकाशन, दिल्ली।